

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 ब्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पौठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- /2019

द्विरेन्द्र मूंड पुत्र घनश्याम जाति जाट निवासी चक 14 डीबीएल डबलीकंला तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

घनश्याम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी चक 14 डीबीएल डबलीकंला तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ। प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीरप्रसाद वर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिह प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किप्रतिवादी के नाम से चकनं0 14 डीबीएल के खाता सं0 147/67 में कुल 2.403 है0 कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 14 डीबीएल के खाता सं0 147/67 में से प्रतिवादी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक

.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...11/10/19.....को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी